कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।

संख्याः–एम0ई0–3/2020/897

दिनांकः– 01.06.2020

आवश्यक सूचना

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि यू0पी0 नीट पी0जी0–2017, 2018 एवं 2019 के अन्तर्गत प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020–21 हेतु शुल्क निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश संख्या – 342/71–4–2020–37/2015 टी0सी0, दिनांक 17 मार्च, 2020 के द्वारा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त हास्टल, सिक्योरिटी एवं विविध शुल्क निर्धारित किये गये है, के आधार पर हास्टल, सिक्योरिटी एवं विविध शुल्क लिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है।

उक्त संबंध मे स्पष्ट किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 17.03.2020 के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020–21 हेतु हास्टल, सिक्योरिटी एवं विविध शुल्क निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः शैक्षणिक सत्र 2020–21 से आवंटित/प्रवेशित होने वाले छात्र–छात्राओं पर ही लागू होगे। इसके पूर्व के सत्रों से अध्ययनरत् छात्रों पर हास्टल, सिक्योरिटी एवं विविध शुल्क प्रभावी नहीं होगे।

विगत सत्रों से अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं से शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं निजी क्षेत्र के कालेजों से हास्टल एवं सिक्योरिटी शुल्क सम्बन्धी प्राप्त सूचना को संकलित कर इस कार्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित शुल्क ही लिया जाएगा।

(के0के0गुप्ता)
महानिदेशक।